17.30 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

A CREAGE OF LAND TO BE IRRIGATED AFTER COMPLETION OF KOSI, GANDAK AND RAJASTHAN CANAL

MR. CHAIRMAN : The House will now take up Half-an-Hour Discussion.

Shri Bhogendra Jha.

श्री भोगेन्द्र झा : (मधुबनी) : सभापति जी, यह बहस दिनांक 17 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर से पैदा हुई है। यह सवाल राजस्थान, गंडक और कोसी नहरों के बारे में है जिन से कुल मिलाकर 87 लाख 2९ हजार हैक्टेयर जमीन नहरों के पूरी हो जाने पर पटने वाली है।

कुछ साल पहले इस सवाल पर बहस मैंने उठाई थी और मंत्री जी की मदद के लिये मैं जरा हवाला दे दूं कि 4-4-1973 को सरकार का जवाब था--

> "Efforts would, however, be made to provide funds to complete the Western Kosi Canal, Rajasthan Canal and Gandak Projects during the Fifth Five Year Plan."

पांचवीं पांचसाला योजना तक इस को पूरा हो जाना था, जिस के लिये केन्द्रीय सरकार ने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि उस के लिये पूरी राशि दी जाएगी और अभी जो 17 अगस्त, 81 को जवाब मिला है, उस के मुताबिक पूरी कोसी नहर में 30 प्रतिशत नहरें खोदी गई हैं, जिन से सिचाई शुरू हुई है। राजस्थान में 24 प्रतिशत में लगभग राजस्थान नहर में, गंडक का सौभाग्य है कि इस में थोड़ा सा आगे बढ़े हैं हम, और वह लगभग 47, 48 प्रतिशत हैं। तो जिस को पांचसाला योजना के अन्त तक पूरा हो जाना चाहिये था, अब छठी योजना चल रही है, अभी भी जो जवाब मिला है उस के मुताबिक गंडक को 1985-86 में पूरा होना चाहिये, पूर्वी कोसी नहर को 85-86 तक, पश्चिमी कोसी नहर को 1987-88 में और राजस्थान नहर को 1985-86 में पूरा होना चाहिये। उस का कारण बताया गया है, इतने बड़े विलम्ब का कारण कि पैसे की कमी है—

> "Some of the reasons for delay are inadequate provision of funds, etc. etc. Rise in cost of labour, materials, equipment, land, etc., non-availability of scarce materials like cement, coal, steel, etc."

सीमेंट के बारे में तो मंत्री जी के सामने अभी एक सुझाव मौजूद है कि महाराष्ट्र सरकार के लिये थोड़ा चन्दा भेज दें, सीमेंट ले लें। दूसरी जगह तो सीमेंट का दुरुपयोग हो रहा है, उस से कम से कम देश की उपज में मदद मिल जायेगी और मंत्री जी को कोई नुकसान नहीं होगा।

सभापति महोदय : झा जी, वह तो इसके परिसर में नहीं आता है।

श्री भोगेन्द्र झा : सीमेंट की कमी का मामला है, इसलिये मंत्री जी की मदद के लिये कहा है।

अभी जहां यह स्थिति है, उसी समय जब सदन में बहस चली थी तो जवाब दिया था, जब मैं ने मांग की थी कि केन्द्रीय सरकार इन राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को अपने हाथ में ले ले, राज्य सरकार यह काम नहीं कर सकेगी, तो उस समय फंड के बारे में जवाब मिला था मंत्री जी का। 4-4-73 को उन्होंने कहा था—

> "I told them that if they took some area under the integrated development programme, the Central Government might like to come forward in

[श्री भोगेन्द्र झा]

assisting them to the extent possible. There is no question of taking over the projects from the Government of Bihar'.

राज्य सरकार ने मांग की या नहीं और केन्द्रीय सरकार ने अपने आश्वासन को पूरा किया या नहीं, इस का जवाब तो मंत्री महोदय ही देंगे। यहीं पर आशवासन मिला था :—

"I can assure the hon. Member that the Planning Commission and the Central Government are very keen to complete, as far as possible by providing adequate resources, those of the projects which are capable of quick fruitition"

ये परियोजनाएं ऐसी हैं कि तुरन्त पैसा खर्च होगा और तुरन्त उन से उत्पादन होने लगेगा। यह बहुत ही लम्बी अवधि का मामला नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं ने अभी कहा है, अभी तक स्थिति यह है कि 30 प्रतिशत तक काम पूरा हो पाया है, जबकि हम विदेशों से अनाज मंगा रहे हैं।

अगर हम इन तीन परियोजनाओं को पूरा कर लें, तो हमारा देश कृषि-उत्पादन के बहुत से मामलों में स्वावलम्बी बन जाएगा। इस मुजरिमाना हरकत और नाकामी के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है और राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। आज तो देश में एक ही दल की सरकारें है। अगर यहां से हुक्म हो, तो कम से कम राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश में कोई आना-कानी की बात नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है? पहले सरकारों का टकराव होता आया है। इस सम्बन्ध में मैं एक हवाला दूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिये। मैं ने मांग की थी कि एक आटोनोमस बोर्ड बनाया जाए। उस समय मंत्री महोदय ने इसी सदन में जवाब दिया था :—

"I would submit for my very learned and knowledgeable friend, Mr. Jha, the fact that there are Boards at present which are functioning. For example, for Gandak, there is a Board under the Chairmanshipof the Governor of Bihar. For Kosi, there is a Board functioning under the Chairmanship of the Chief Minister. Of course, it has been unfortunate that for some years we have had a spate of Chief Ministers in Bihar that has some what disturbed the continuity of the process of development."

कम से कम मुख्य मंत्रियों के बहुत ज्यादा परिवर्तन का मर्ज अभी नहीं है। तब क्या स्थिति है? बिहार में कोसी कंट्रोल बोर्ड है। 1975 के बाद उस की एक भी बैठक नहीं हुई है। 1975 तक उस की 30 बैठकें हुई थीं, उस के बाद एक भी बैठक नहीं हुई। यह भी सरकार के जवाब से स्पष्ट है। 24 अगस्त को मेरा प्रश्न था :—

"Whether the Kosi Control Board set up by the Government of Bihar in 1954, has not held a single meeting since 1975? If so, reasons and responsibility therefor.?"

जवाब मिला

"Yes, Sir. The matter concerns the Government of Bihar."

बोर्ड के चेयरमैन राज्य के मुख्य मंत्री हैं और सात साल में एक भी बैठक नहीं हुई है। एक तरफ परियोजना को पूरा करने में इतना अधिक समय लग रहा है और दूसरी तरफ विदेशों से अनाज मंगाया जा रहा है। आखिर किसी की कोई जिम्मेदारी है या नहीं? ये मिश्रित परियोजनाएं हैं। कोसी परियोजना भारत और नेपाल दोनों से सम्बन्धित है। उस के बोर्ड की एक भी मीटिंग नहीं हुई है।

खुशी की बात है कि भूतपूर्व सिंचाई मंत्री और वर्तमान रेल मंत्री, हमारे मित्र, श्री केदार पांडे, यहां मौजूद हैं। पिछले साल

इसी सदन में 5 अगस्त को सिचाई मंत्री की हैसियत से उन्होंने ऐलान किया था कि केन्द्रीय सरकार कोसी कंट्रोल बोर्ड गठित करती है, जिसके अध्यक्ष सिचाई मंत्री होंगे। 5 अगस्त, 1980 को इसी सदन में उस बोर्ड के गठन का एलान हुआ। प्रधान मंत्री जी बैठी हुई थी। अब 24 अगस्त, 1981 को–एक बरस और एक पखवाड़ा बीता है–मैं ने पूछा :—

"Whether the Kosi Control Board, announced in the House on 5th August, 1980, has since begun functioning? If so, details thereabout. If not, the reasons and accountability therefor.

जवाब मिला है :

(a) and (b). No, Sir. The Government of Bihar did not agree to the proposal made by the Central Government.

तो जो बिहार में था और अभी है उस की एक भी बैठक '75 के बाद नहीं हुई है। उस का दायरा सिर्फ नहर, सिचाई या बाढ़ के मामले तक था। केन्द्रीय सरकार ने जिस बोर्ड के गठन का एलान किया उसका दायरा बहु-उद्देशीय था जिस में सब से महत्वपूर्ण हिस्सा जल-विद्युत् परियोजना का था। तो केन्द्र की परियोजना की बिहार सरकार ने नामंजूर कर दिया। बिहार सरकार केन्द्र सरकार से ऊपर हो गई जिस ने उस की परियोजना को नामंजर कर दिया और बिहार का जो अपना बोर्ड था उस की एक भी बैठक नहीं हुई।

एक बात और मै आप के माध्यम से से कहना चाहूंगा। बिहार सरकार ने 1974 में एक कोसी बोर्ड आफ कंसल्टेंट्स गठित किया था जिस के अध्यक्ष डा० कवरसेन साहब थे जो नदी घाटी परियोजना के विश्व के एक माने हुए अभियन्ता थे... (व्यवधान).. इस में हम ने डा० कुंवर-सेन वाली कमेटी के बारे में पूछा तो इस का मुझे जवाब दिया केन्द्रीय सरकार ने कि ऐसा कोई बोर्ड गठित ही नहीं हुआ था और अभी 24 अगस्त का जवाब है प्रश्न संख्या 1199 का। प्रश्न यह था —

Whether the Kosi Board of Consultants headed by Dr. Kanwar Sen was set up in January, 1974 and whether it submitted its provisional Report in September 1974, and it has not been called to make the final Report ?

यह मेरा प्रश्न था। जवाब मिला :

The Government of Bihar intimated that no report, either final or provisional, of the Kosi Board of Consultants constituted by the Government of Bihar in 1974 had been received by.. (*;nte uption*)

सभापति जी, कुछ ही मिनट और लगेंगे। यह बहुत ही आवश्यक है सदन के लिए और देश के लिए क्योंकि एक ऐसे तथ्य से इनकार किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं। इसी सदन में इसी विषय पर मेरे 10 मई, 1974 के प्रश्न का जवाब दिया था सरकार ने। प्रश्न था—

Whether a Kosi Bord of Consultants was constituted by the Government of Bihar which submitted its report through a note dated 4-9-1974?

यह प्रश्न संख्या 3669 मैंने 10 मई को पूछा था।

सभापति महोदय : अब कान्क्लूड कीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा : बस खत्म कर रहा हूं। उस में यह थे।

If so, main features thereof.

[श्री भोगेन्द्र झा]

मेन फीचर्स में जवाब मिला है :

It has been suggested that necessary survey and investigation to update the project for construction of a high dam on the Kosi River be carried out.

जिस तथ्य को इसी सदन में रखा गया उसी के लिए आज कहा जा रहा है कि वैसा बोर्ड कोई गठित नहीं हुआ । अब कहा जा रहा है उस ने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया । इसीलिए मैंने इसी सदन के बीच इसी सरकार द्वारा दिए हुए जवाब आप के सामने रखे हैं । अब मेरा आग्रह है जब इस तरह से हाहाकार हो रहा है बाढ़ की वजह से और सूखे की वजह से, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ये सब इलाके हमारे सरहद के इलाके हैं, देश की सुरक्षा का मामला है और वह इलाका रेगिस्तान बना हुआ है । रुपये की कमी नहीं है । वाहियात बातों के लिये हमारे वित्त मंत्री नोट छापने में अपना रेकार्ड सभी भूतकालीन मंत्रियों के मुकाबिले में तोड़ रहे हैं । क्या ऐसे मामले के लिये रुपये का इतना बड़ा अभाव है कि उस को रेगिस्तान बने रहने देंगे और उस को उपजाऊ नहीं बनायेंगे ? वैसे ही जब विद्युत् का इतना बड़ा संकट है तो एक डैम से जब 3300 मेगावाट विद्युत् का हमें लाभ हो सकता है केवल कोसी के डैम से, यह रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, मगर जवाब मुझे मिला पत्र के जरिए कि —

We cannot have consumers for such huge block of power.

इतनी बिजली नहीं खर्च कर सकेंगे, इसीलिए इसे नहीं लिया गया । यह बिहार सरकार से अकल ले कर केन्द्र सरकार ने मुझे जवाब दिया था । मैं आप के जरिए मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस तरह से परस्पर विरोधी बातों को लाना और देश के लिए जो बहुत ही राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं उन को बार बार टाल जाना—जो पांचवीं योजना में पूरा होना था उस को अभी तक नहीं किया गया—यह किस की जिम्मेदारी है और आगे कितनी जल्दी इस को पूरा कर रहे हैं? क्या फिर तो यह कहने का मौका नहीं आयेगा कि फलाने कारण से या अर्थाभाव से यह नहीं होने पाया ? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी स्पष्ट जवाब दें ताकि यह सदन और देश जान सके कि सरकार की नियत क्या है ? कहीं फिर तो पी० एल० 480 के रास्ते पर जाने का विचार तो नहीं है ? इस देश में ही गल्ला पैदा न करके विदेशों से गल्ला मंगाने का विचार इस सरकार का तो नहीं है—इस बात का स्पष्ट जवाब मंत्री जी यहां पर दें ।

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : चेयरमैन साहब, भोगेन्द्र झा साहब इस हाउस के पुराने माननीय सदस्य हैं और वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कई बार इस हाउस में इस बात को कहा गया है कि इरीगेशन और वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट स्टेट सब्जेक्ट है । जो भी प्रोजेक्ट्स इरीगेशन के होते हैं, स्टेट्स में उनका फार्मलेशन होता है, इंवेस्टिगेशन होता है और उसका इंप्लीमेंटेशन भी उनका काम है ।

जो सवाल भोगेन्द्र झा साहब ने यहां पर उठाया है उसका ताल्लुक खुसूसियत के साथ तीन प्रोजेक्ट्स से है जिनमें से दो झा साहब की स्टेट बिहार के हैं और एक राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है । भोगेन्द्र झा साहब ने यह बात सही नहीं कही कि कोई अक्ल बिहार सरकार से ले जाती

है लेकिन यह बात जरूर है कि जब प्रोजेक्ट्स का इंप्लीमेण्टेशन स्टेट्स के हाथ में है तो इत्तलात हम जरूर उनसे लेते हैं । और अगर अक्ल कहीं से लेने की जरूरत पड़ ही जाए तो भोगेन्द्र झा साहब ज्यादा करीब हैं, थोड़ी-बहुत अक्ल हम उनसे ही ले लेंगे, इतनी दूर बिहार सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं हैं । (व्यवधान) एक दूसरे माननीय सदस्य, शास्त्री जी भी इसके लिए यहां मौजूद हैं ।

इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में दो-तीन सवाल उन्होंने उठाए हैं। एक सवाल तो यह है कि जब यह प्रोजेक्ट बने थे उस वक्त नेकनीयती के साथ यह इरादा था कि इनका कंप्लीशन जल्दी से जल्दी हो जाए, फिफ्थ प्लान में हो जाए । झा साहब ने जो सवाल उठाया था उसके जवाब में कुछ वजहें दी गई हैं जिनकी वजह से यह प्रोजेक्ट डिले हो गये । और हमको यह एनाउन्स करने में कोई खुशी नहीं है कि डिले हो गई लेकिन कुछ माकूल वजहें हैं । इसकी मेन जिम्मेदारी तो स्टेट गवर्नमेंट की है क्योंकि इंप्लीमेण्टेशन स्टेट गवर्नमेंट का काम है । हमारी जिम्मेदारी इस हद तक है कि फंड्स के एलोकेशन में, प्लानिंग कमीशन जो प्लान एप्रूव करती है और जो एलोकेशन करती है वह हम नेपाल में किये जा रहे कामों के लिए प्रोवाइड करते हैं । प्लानिंग कमीशन ने एक वर्किंग ग्रुप मेजर एंड माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के ऊपर मुकर्रर किया और उस ग्रुप ने जो वजहें इंप्लीमेंटेशन में देरी होने की बतलाई हैं वह कई बार इस हाउस के सामने आ चुकी हैं । उनमें से कुछ वजहें इसमें दी भी गई हैं । आप जानते ही हैं कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कभी कभी यह महसूस किया जाता है कि उसमें कुछ और काम्पोनेन्ट्स बढ़ा देने चाहिएं । मसलन ईस्टर्न कोसी केनाल के इम्प्लीमेण्टेशन के बाद इस बात को महसूस किया गया कि उसमें ड्रेनेज का खातिरख्वाह इन्तजाम नहीं हुआ था । ड्रेनेज को खातिरख्वाह का इन्तजाम न होने की वजह से वाटर-लागिंग पैदा हो रही थी । इसलिए जाहिर है कि यह ड्रेनेज का इन्तजाम, वह कम्पोनेंट उसमें शामिल किया गया । वैस्टर्न कोसी कैनाल को हमने दोबारा देखा और यह राय कायम की कि वेस्टर्न कोसी कैनाल के प्रोजेक्ट में ड्रेनेज का प्रावधान ड्रेनेज के कम्पोनेंट को भी शामिल किया जाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन साथ-साथ हो । कभी-कभी कुछ कमाण्ड एरिया के सिलसिले में और कुछ वजहों में हमको प्रोजेक्ट में तबदीलियां करनी पड़ती हैं । एक और माकूल वजह यह है कि कभी कभी हमारे जनप्रतिनिधियों के दबाव की वजह से स्टेट गवर्नमेंटस जो प्लानस, जो प्रोजेक्ट्स एप्रूव्ड होते हैं, उनके अलावा और ज्यादा प्रोजेक्टस लेने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि उन्हीं प्रोजेक्ट्स में जो नए प्रोजेक्ट्स लिए हैं, तकसीम करना पड़ता है । उसी तकसीम की वजह से उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो प्रोजेक्ट्स एप्रूव्ड हैं, उन पर कभी कभी पैसे की कमी आ जाती है । यही वजह हैं, जिनकी वजह से कुछ डिले होता है ।

छठी पंचवर्षीय योजना में हमारी स्ट्रेटेजी यह है कि जो ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दे कर कम्पलीट करवायेंगे और हमने उसमें एक टाइम-फ्रेम बनाया है, उसमें मुकर्रर किया है कि कौन से प्रोजेक्ट किस साल तक पूरे हो जायेंगे । अगर आप मुझे इजाजत दें, जो इनके मुतालिक सवाल उठाया गया है, वह सूरत मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं । जैसे कोसी कैनाल प्रोजेक्ट के सिलसिले में तीन कम्पोनेंट हैं—, पहला बैराज और ईस्टर्न कोसी कैनाल, दूसरा राजपुर कैनाल और तीसरा वैस्टर्न

[श्री भोगेन्द्र झा]

कोसी कैनाल। वैस्टर्न कोसी कैनाल के भी दो हिस्से हैं। एक वैस्टर्न कैनाल का वह हिस्सा है, जो हिन्दुस्तान के अन्दर है और एक वह हिस्सा है जो हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में बनना है।

सभापति महोदय : इसके बारे में छठे प्लान में जो प्रायोरिटी दी है वह बता दीजिए।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : वही मैं अर्ज कर रहा हूं। इसमें जो बैराज हैं वह 1963 में कम्पलीट हो गया।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) मिनिस्टर साहब होम वर्क थोड़ा अच्छा करेंगे।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : वैस्टर्न कोसी कैनाल जो मेन-कैनाल का हिस्सा है, उसमें इन्डो-नेपाल बोर्डर से भूनाई बालान तक का जो प्रोजैक्ट है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम, ड्रेनेज वगैरह है, सब हम 1983 तक कम्प्लीट कर लेंगे। ईस्टर्न कोसी कैनाल को 1985–86 में कम्प्लीट कर देंगे, राजपूर कैनाल 1983–84 तक कम्प्लीट कर लेंगे। यह फेस्ड-प्रोग्राम है जो प्लानिंग कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया है। वेस्टर्न कैनाल का इण्डिया का पोर्शन 1987-88 तक पूरा हो जायगा और नेपाल का पोर्शन 1983 तक कम्प्लीट कर लेंगे, इस में काफ़ी काम हो गया है।

इन चीजों के कम्प्लीशन और इम्प्लीमेण्टेशन में जो दिक्कतें स्टेट गवर्नमेंट को आती हैं उन में गवर्नमेंट आफ इण्डिया का क्या रोल है? इस सिलसिले में हम ने सैण्ट्रल वाटर कमीशन में इन तमाम इम्पार्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जिन में कोसी, गण्डक और राजस्थान कैनाल शामिल हैं, एक मोनिटरिंग सेल कायम किया है, जो वक्तन-फवक्तन इन प्रोजेक्ट्स के काम को देखता है कि कितना काम हुआ है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, किस हद तक हम स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंस दे सकते हैं—इन सब बातों की मोनिटरिंग की जाती है। इस के साथ ही हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लिखा है कि अपनी अपनी स्टेट में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एक मोनिटरिंग सेल कायम करें। बिहार में भी वहां के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए मोनिटरिंग सेल बनी हुई है। इन के अलावा प्रोजेक्ट-वाइज यानी कोसी और गण्डक के अलग-अलग मोनिटरिंग सेल्ज बने हुए हैं।

भोगेन्द्र झा जी ने कण्ट्रोल बोर्ड के बारे में एक सवाल किया था जिस की चर्चा इस हाउस में भी कई बार हो चुकी है। जैसे मैंने अभी आप से कहा था— यह मामला स्टेट का है, उस का इम्प्लीमेण्टेशन उस को सुपरवाइज करना, उस को वक्त के अन्दर पूरा करना—ये सब काम स्टेट के हैं। इस लिए जब तक हम को दखल देने के कोई इख्तियारात न हों हम दखल नहीं दे सकते। हम भी अगर इख्तियारात लेंगे यानी सैण्ट्रल गवर्नमेंट अगर कोई इख्तियारात लेगी तो वे भी स्टेट गवर्नमेंट की राय से, उनके मशविरे से, उनकी इजाजत से लेंगे या फिर पार्लियामेंट में एण्ट्री 56 में कानून लाकर इण्टरस्टेट रिवर्स के नियन्त्रण को अपने हाथ में लें, जैसा कि हमारा इरादा है कि हम एण्ट्री 56 के तहत कांस्टीचूशन में वे इख्तियारात अपने हाथ में लें। कोसी कण्ट्रोल बोर्ड के मुताल्लिक जो बात उन्होंने

कही थी, वह सही है । 1954 में कोसी कण्ट्रोल बोर्ड कायम हुआ लेकिन 1975 के बाद वह डिफंक्ट हो गया, उस की मीटिंग्ज नहीं हुई, कोई कार्यवाही नहीं हुई ....

श्री भोगेन्द्र झा : क्यों ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : रीजन्ज स्टेट गवर्नमेंट जाने, मैं हाउस में नहीं बता सकता हूं लेकिन यह वाक्या है कि वह डिफंक्ट हो गया और यह भी वाक्या है कि भोगेन्द्र झा साहब और दूसरे आनरेबिल मेम्बरान ने जब इस बात की तरफ तवज्जह दिलाई कि कोई ऐसा कण्ट्रोल बोर्ड कोसी के सिलसिले में नहीं है जो उस को सुपरवाइज कर सके, जो उस के काम को नियन्त्रित कर सके, तब हमारे फार्मर मिनिस्टर श्री केदार पांडे ने हाउस में यह कहा कि हमारे सामने यह प्रपोजल है, हम यह प्रपोज कर रहे हैं कि कोसी के लिए कोई ऐसा कण्ट्रोल बोर्ड बना दें जो सेण्टर के नियंत्रण में हो । लेकिन आप जानते हैं, चेयरमैन साहब, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया था, उस को बार-बार दोहराना अच्छा मालूम नहीं होता है, अगर हम ऐसा इरादा भी करें तो हमें इस मसले पर स्टेट गवर्नमेण्ट से सलाह लेनी होगी । यह हमारी नेकनीयती है कि हम ने इस मसले पर.....

PROF. N. G. RANGA (Guntur) : They did not do it between 1954 and 1976. The Central Government was sleeping.

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : इस मसले को हम ने उन से टेक-अप किया, लेकिन उन्होंने एग्री नहीं किया । उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहिबा के इण्टरवेन्शन से यह बात तय हुई कि पुराना कण्ट्रोल बोर्ड दोबारा रिवाइव हो ताकि उस का फंक्शन तेजी से शुरू हो सके । प्राइम मिनिस्टर साहिबा के इण्टरवेन्शन से यह फैसला हुआ ।

18 hrs.

श्री भोगेन्द्र झा : बिहार के दायरे मल्टी-परपज प्रोजेक्ट्स नहीं हैं ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह कोसी बोर्ड के सिलसिले में है । यह बात कोसी बोर्ड के सिलसिले में है और जो भी उस का दायरा-अख्तियार है, उस में कोसी-बोर्ड का ही सवाल उठा था और कोसी बोर्ड के सिलसिले में यह बात कही गई थी कि सेण्टर से एक कण्ट्रोल बोर्ड कायम करने का हुकूमत का इरादा है और उस इरादे को हम ने जाहिर किया है ।

यह एक मुख्तसर सी कहानी है । मैं नहीं जानता कि कोई ऐसे सवाल उठे हैं भोगेन्द्र झा जी द्वारा, जिन का खातिर-जवाब इससे पहले इस हाउस में न दिया जा चुका हो ।

एक सवाल उन्होंने और यह उठाया और उन्होंने खुद सजेस्ट किया कि जो नेशनल इम्पोर्टेन्स की प्रोजेक्ट्स हैं, उन को सेण्टर अपने हाथ में ले, केन्द्र अपने हाथ में ले और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ आनरेबिल मेम्बर को आगाह करना चाहता हूं कि हम बहुत सीरियसली इस बात को सोच रहे हैं और हम इस राय के हैं कि अगर अर्ली इम्प्लीमेंटेशन इन प्रोजेक्ट्स का चाहते हैं, तो हम को सेण्टर के अख्तियारात एण्ट्री 56 के तहत बढ़ाने होंगे और हम उन को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारा पूरा इरादा है कि हम उस अख्तियार को अपने हाथ में लें ।

श्री भोगेन्द्र झा : यह आप की जाती इरादा है या सरकार का फैसला है ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : यह सरकार की थिंकिंग है । मैं जियाउर्रहमान की हैसियत से बात नहीं कह रहा हूं, मैं

[श्री जियारहमान अन्सारी]

इस सदन के एक मेम्बर की हैसियत से बात नहीं कह रहा हूं, मैं जो कुछ कह रहा हूं वह हुकूमत के एक नुमायन्दे की हैसियत से कह रहा हूं और यह सरकार की थिंकिंग है ।

मैं समझता हूं कि जो सवालात उन्होंने उठाए थे, उन सब का जवाब मैंने दे दिया है ।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी): सभापति महोदय, यह गंडक नहर मेरे इलाके से हो कर गुजरती है और गंडक नहर का प्रत्यक्षदर्शी होने की हैसियत से जो समस्याएं सामने आती हैं, उन के बारे में मैं सवाल कर रहा हूं ।

मेरा पहला सवाल यह है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गंडक योजना से जितनी जमीन की सिंचाई हो सकतीहै, जितनी क्षमता अभी तक उपलब्ध है, गंडक क्षेत्र कमाण्ड एरिया में सीपेज एवं चवरों में पानी के जमाव के कारण उस का सही इस्तेमाल नहीं होता । ऐसी बात आप ने भी कही है और कोसी में भी यह बात लागू होती है । मैं जानना चाहता हूं कि पानी के जमाव को दूर करने के लिए और जल निकास योजना को लागू करने की दृष्टि से तथा सीपेज को रोकने के लिए आप ने कोई कार्रवाई की है । आप कहते हैं कि राज्य सरकारों का यह काम है । क्या आप ने इसके लिए राज्य सरकारों पर दबाव डाला है या नहीं ?

दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या यह बात सही नहीं है कि गंडक योजना का काम बहुत धीमी गति से हो रहा है और उधर खर्च बढ़ता जाता है । नतीजा यह हो रहा है कि जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए था. वह नहीं मिल रहा है । क्या आप को इस बात की जानकारी है ?

तीसरा सवाल मेरा यह है कि क्या यह बात सही नहीं है कि गंडक योजना के अन्दर बड़ी नहरें, शाखा नहरें, जल-वितरने के बनने के बावजूद फील्ड चैनेल का निर्माण समुचित नहीं है । इसके चलते जो सिंचाई क्षमता है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है ।

चौथा सवाल यह है कि क्या सरकार को जानकारी है कि नहीं कि गंडक नहर से सिंचाई की व्यवस्था में लगे जो अधिकारी हैं, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन में कार्य-कुशलता का गहरा अभाव है, जिस से कभी तो साल भर पानी नहीं मिलता है और कभी अनावश्यक पानी नहरों में छोड़ दिया जाता है और इस से दोनों हालतों में किसानों को क्षति उठानी पड़ती है ।

मेरा अगला सवाल यह है कि क्या यह बात सरकार के ज्ञान में है कि नहीं कि सिंचाई की कर-वसूली में काफ़ी धांधली है, जिस के कारण किसान गंडक नहर के पानी का समुचित इस्तेमाल नहीं करते । यह बात कोसी में भी है । इस के बारे में मंत्री जी बताएं ।

क्या सरकार सिंचाई रेट बढ़ाने जा रही है जिसका परिणाम किसानों पर प्रतिकल पड़ेगा ? उनकी अनाज बोने की जो क्षमता है उसको नुकसान पहुंचेगा, यह नहीं होना चाहिए । यदि नहीं, तो सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे ।

क्या सरकार की जानकारी में है कि या नहीं कि गण्डक योजना के अमल में

ठेकेदार एवं अधिकांश अधिकारियों की मिली भगत से यह योजना ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए लूट की योजना बन गयी है ? क्या सरकार ने इस लूट को रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्या अब कदम उठाने जा रही है और इसको रोकने जा रही है ? गण्डक को अधिकारियों के लिए सोने की चिड़िया कहा जाता है और आपकी पार्टी के नेताओं के लिए भी ।

क्या सरकार गण्डक योजना की क्रियान्विति की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों एवं जन-प्रतिनिधियों की एक समिति बना कर इसका समीक्षा करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

गण्डक योजना में निम्नतम चतुर्थ-श्रेणी कर्मचारी केजुअल लेबर हैं और वर्षों से केजुअल लेबर हैं। उनकी अवधि पूरी हो गई है लेकिन कुछ अधिकारियों और नौकरशाही की अवहेलना से कोई हल नहीं हो रहा है । तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों और छोटे इंजीनियरों की समस्याओं को हल कर ने और वहां के मजदूरों की कठिनाइयों को दूर करने के आप क्या उपाय करने जा रहे हैं, इसका जवाब दें ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : राजस्थान नहर देश की ही नहीं बल्कि एशिया की सब से बड़ी नहर है । इसका सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्व है और राजस्थान के क्षेत्र को हराभरा करने के लिए यह नहर सब से महत्वपूर्ण है ।

इस पर कार्य 1958–59 में शुरू हुआ था । अब 1981 हैं । जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उस समय इस प्रोजेक्ट को कितनी राशि का बनाया गया था और अब इसमें कितनी राशि व्यय होगी ? यह बताने की कृपा करें ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि राजस्थान नहर के फर्स्ट फेज का फुल यूटिलाइजेशन कब तक शुरू हो जाएगा ? राजस्थान नहर का सेकिंड फेज कब शुरू हुआ और यह कब तक पूरा हो जाएगा और कब तक इसका फुल यूटिलाइजेशन होने लगेगा ?

प्रथम और सेकिंड फेज की अवहेलना के क्या कारण रहे हैं ? क्या यह सही नहीं है कि वहां विशेष तौर से कोयले के रेक्स की कमी से दिक्कत आ रही है क्योंकि वे नहीं मिल रहे हैं ? मुझे विश्वास दिलाया गया था कि रेक्स पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे और सीमेंट भी मिलेगा । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपका रेलवे विभाग और सिविल सप्लाई विभाग इनकी सप्लाई के लिए क्या एक्शन ले रहा है ? किस प्रकार से यह नहर 1985–86 तक कम्प्लीट हो जाएगी अगर इन चीजों की कमी रही तो ? आप इस बारे में क्या कदम उठा रहे हैं ?

कंवरसेन कमेटी ने इस नहर को नेविगेबल बनाने की सिफारिश की थी लेकिन उसको बाद में वापस ले लिया गया । क्या सरकार पुनः इस स्कीम को लागू करके इस नहर को नेवीगेबल बनायेगी जिससे कि काण्डला तक यह नहर पहुंचे और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान भी लाभ उठा सकें ? कृपया इस मामले में भी जानकारी दें ।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा): माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर में कहा है कि सेण्ट्रल मोनिटेरिंग आरगेनाइजेशन भी मोनिटेरिंग करता हैं, तो क्या वह डिले के लिए किसी की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं करता है ? इस डिले से कास्ट बढ़ जाती है और प्रोजेक्ट की कास्ट एक पेपर पर रह जाती है ।

[श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत]

यह राजस्थान कैनाल जहां से निकलती है वहां का पानी राजस्थान को मिलना चाहिए, क्योंकि राजस्थान को पानी की आवश्यकता भी है लेकिन दूसरे स्टेट के हाथ में कण्ट्रोल है। यह जो सेंट्रल कण्ट्रोल बोर्ड है, इसमें राजस्थान का प्रतिनिधि होना चाहिए। सेण्टर के हाथ में इफेक्टिव कण्ट्रोल रहना चाहिए। जैसा कि बताया गया है कि राजस्थान को 18,000 क्यूसिक पानी मिलना चाहिए, जब कि केवल 9,000 क्यूसिक पानी मिल रहा है। इसका कारण यह हो सकता है कि इस पानी का उपयोग दूसरे राज्य अन्य कार्यों के लिए कर रहे हों।

इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, इनमें हमेशा मामले उठते रहते हैं तो क्यों न ऐसा किया जाए कि एक नेशनल कण्ट्रोल बोर्ड बना दिया जाए, जिससे इफेक्टिव कण्ट्रोल और प्रापरली काम हो सके और स्टेट्स के बीच के झगड़े कम हो सकें।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : चेयरमैन साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि माननीय सदस्यों ने एक तरह से हमारी वकालत ही की है। मैं बार-बार इस चीज को दोहरा चुका हूं कि कभी-कभी स्टेट्स आपस के झगड़ों में इतने उलझ जाते हैं और इस पर केन्द्र का कोई कण्ट्रोल नहीं होता। इस सिलसिले में हमारा मुस्तकिल इरादा है कि हम एण्ट्री 56 के अन्दर बाकायदा कानून ला कर के यह कार्य करेंगे।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : कब तक लाएंगे।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जल्दी ही लाएंगे।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : कोई समय बता दीजिए।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : एक समय बता दीजिए—चाहे 6 महीने का ही बता दीजिए, जिससे हमको विश्वास हो जाएगा।

सभापति महोदय : बता दिया है कि जितनी जल्दी हो सकेगा।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैंने अर्ज किया है कि प्रोसेस में है और स्टडी हो रहा है, ला डिपार्टमेंट भी स्टडी कर रहा है, कोई आटोक्रेसी नहीं है, यहां पर डेमोक्रेसी है और उसी के अनुसार यह मामला प्रोसेज में है और मैं यकीन दिलाता हूं कि हम इसको जल्दी से जल्दी लाना चाहते हैं।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : आप कह दीजिए कि इतने समय में लाएंगे —आप कह दीजिए कि बजट सैशन में लाएंगे।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : यह मैं नहीं कह सकता और हो सकता है कि इससे भी जल्दी आ जाए, बजट सैशन तो बहुत दूर है। यह तो हमारे इंटरेस्ट की बात है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है।

माननीय मधुकर जी ने कुछ सवाल उठाए, उनमें से अधिकतर स्टेटस से ताल्लुक रखते हैं। एक बात जरूर उन्होंने ड्रेनेज के सिलसिले में कही है। वाटर-लागिंग और ड्रेनेज के सिलसिले में उनकी इत्तिला के लिए मैं बताना चाहता हूं कि गंडक प्रोजेक्ट के बारे में यू० पी० और बिहार—दोनों से सम्बन्धित ड्रेनेज स्कीम टेक-अप कर रहे हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : सीमेंट एण्ड कोल।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : रीजंज हमने आइडेंटिफाई किए हैं । उन में से एक यह भी है कि कुछ रा मैटरियल वक्त पर प्राप्त न हुए जिस की वजह से डिले हुई । जहां तक कोल का सवाल है उसकी कोई प्राबलैम नहीं है । सही मानों में रेलवे वैगंज की प्राबलैम है । हम ने रेलवे मिनिस्ट्री से इसको टेकअप किया है । इनफ्रास्ट्रक्चर कमेटी कैबिनेट की है । पहले रेलवे ने इरिगेशन को लो प्रायोरिटी दे रखी थी वैगंज के एलाटमेंट के सिलसिले में । जो इनफ्रास्ट्रक्चर कैबिनेट कमेटी है उसने इसको रेलवे के साथ टेक अप किया 12 फरवरी, 1981 को और उसने एग्री कर लिया है कि 1500 वैगंज पर मंथ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए कोल की मूवमेंट के लिए पांच स्टेट्स को दिए जाएंगे । उन में से पांच सौ वैगंज सिर्फ राजस्थान कैनाल के लिए ईयरमार्क्ड है ।

जहां तक सीमेंट का ताल्लुक है मिनिस्ट्री आफ इण्डस्ट्रीज से इस मसले को टेक अप किया गया था । सीमेंट कण्ट्रोलर को उस मिनिस्ट्री ने कहा है कि वह सीमेंट फैक्ट्रीज पर अपने इन्स्पैक्टर बिठाएं ताकि इरिगेशन और पावर प्राजैक्ट्स के लिए प्रोयोरिटी बेसिस पर एलोकेशन के मुताबिक सीमेंट मिल सके । हमें भी चिन्ता है कि जल्दी से प्राजेक्ट्स कम्पलीट हो ।

राजस्थान कैनाल प्राजैक्ट के सिलसिले में मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । आप को मैं बताना चाहता हूं कि उसकी लेटेस्ट कास्ट क्या है । लेटेस्ट कास्ट का जो स्टेज 1 का एस्टीमेट है वह 200 करोड़ है और स्टेज दो का 250 करोड़ । कुल 450 करोड़ हो जाता है । एक्सपैंडीचर मार्च, 1980 तक हुआ है 191.38 करोड़ स्टेज 1 में और 60.72 करोड़ स्टेज 2 में । छठे प्लान का आउटले 1980--85 का स्टेज 1 का 9.50 करोड़ है और स्टेज 2 का 150 करोड़ है । 1980-81 में स्टेज 1 में जो एक्सपेंडीचर हुआ है वह 6.25 करोड़ है और 15.21 करोड़ स्टेज दो का है । एक्सपेंडीचर मार्च 1981 तक टोटल जो हुआ है वह 273.56 करोड़ का हुआ है । 1981-82 का जो आउटले है वह 4.50 करोड़ स्टेज 1 का है और 27 करोड़ स्टेज दो का है । प्रोपोज्ड इरिगेशन स्टेज 1 का 5.94 लाख हैक्टेयर है और स्टेज 2 का 6.60 लाख हैक्टेयर है । इरिगेशन पोटेंशल जो अभी तक क्रियेट हो चुका है वह स्टेज 1 में 5.33 लाख हैक्टर है । जो इरीगेशन पोटेंशियल है हमारा वह 5.94 लाख हैक्टर्स है उसमें से 5.33 लाख हैक्टर्स हम क्रीएट कर चुके हैं मार्च, 1981 तक स्टेज 1 में । इसी तरह टोटल इरीगेशन पोटेंशियल फोर स्टेज 2, 6.60 लाख हैक्टर्स है लेकिन अभी तक 0.21 लाख हैक्टस क्रीएट किया है । और इसका कारण यह है कि स्टेज 2 अभी पूरी तरह टेक अप नहीं हुआ ।

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

NINETEENTH REPORT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Sir, with your permission I beg to present Nineteenth Report of the Business Advisory Committee.

18.22 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, September 3, 1981/Bhadra 12, 1903 (Saka).

GMGIPMRND—SI—1786 LS—JC 2811—25-10-81—890